ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 125-129
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

अपराध का बदलता आयाम

डॉ0 अरूण कुमार तिवारी
सहायक आचार्य– मनु लॉ कालेज, निचलौल, महराजगंज, (उ0प्र0) भारत

Received-24.10.2022, Revised-30.10.2022, Accepted-03.11.2022 E-mail: arunkumartiwari963@gmail.com

सारांश: ***प्राचीन भारतीय समाज में धर्म एवं अपराध बहुत निकटता से जुड़े हुए थे, ये समाज में ऐसी धारणा और विश्वास प्रचलित थे कि जिसका किसी एक व्यक्ति द्वारा उल्लंघन होने पर समाज पर उसका दैविक प्रकोप एवं धर्म का उल्लंघन प्राचीन विधानों के अनुसार अपराध माना गया, परन्तु कई बार इसे अपराध ना मानकर पाप की श्रेणी में रखा जाता था। बाद में इन दोनों अवधारणाओं को अलग–अलग समझा गया, जहाँ पाप का निर्णय सामाजिक मूल्यों द्वारा वहीं अपराध का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाने लगा। दूसरी तरफ अपराध को समझने के लिए फ्रांसीसी अपराधशास्त्रीयों ने टार्ट शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी रुपान्तरण रांग अर्थात अनुचित माना गया, उस काल में अपराध करने वाले व्यक्ति को अपराधी या दोषी ठहराया जाता था एवं निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना होता था जो कि मूलतः धर्म और अन्ध विश्वास पर आधारित थी, अग्नि परीक्षा के अन्तर्गत अपराधी के हाथ में धधकता हुआ लोहे का छड़ बांधकर उसे अग्नि में नौ फीट चलने के लिए कहा जाता था, इसके तीन दिन बाद उसके हाथ की पट्टी खोली जाती थी, यदि यह पाया जाता की उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया तो उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया जाता था, अन्यथा उसे अपराधी साबित कर दिया जाता था, इसी तरह अन्य परीक्षा में अपराधी को पानी में डूबोकर अपराध का दोष या निर्दोष होने का पता लगाया जाता था।***

कुंजीभूत शब्द– प्राचीन भारतीय समाज, धर्म, अपराध, दैविक प्रकोप, रांग, निर्दोष, अन्ध विश्वास, अग्नि परीक्षा।

अपराध का इतिहास– अपराध का इतिहास काफी पुराना है। अट्ठारहवी शताब्दी का युग अपराधशास्त्र के वैचारिक उत्थान का समय था। इस शताब्दी में रूढ़िवादी मान्यता निराधार थी, उस युग में माना जाता था कि मनुष्य ईश्वरीय कृपा के कारण अपराध करता था और अपराध के लिए व्यक्ति स्वयं ही उत्तरदायी होता था। वहीं 19 वीं शताब्दी में अपराध को कोई बाह्य शक्ति अथवा दैवीय शक्ति या अन्य शक्ति द्वारा अपराध माना जाय या नहीं यह बहुत कुछ समाज की नैतिक मान्यताओं तथा आदर्शों पर निर्भर करता था, इस शताब्दी मे व्यक्ति अपराध के विभिन्न पहलुओं की जांच–पड़ताल करने लगे, इसलिए इस शताब्दी में समय–समय पर अपराध अलग–अलग दिखाई पड़ने लगे। हालॉकि बीसवी शताब्दी भी अपराध को बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस शताब्दी में अपराधों में निरन्तर वृद्धि होती रही इसकी वृद्धि होने के साथ–साथ आधुनिकीकरण/औद्यौगीकरण विभाग और तकनीकी ज्ञान में भी वृद्धि हुई। सभतया का विकास तथा बदलती हुई भौतिकवादी प्रवृति विशेष महत्वपूर्ण रही, उत्पादन और आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरुप मानव प्रवृति सुखभोग, विलास व ऐश्वर्यमय जीवन बिताने की ओर उनकी मांग बढ़ती जा रही थी। अतः व्यक्ति अपने भोग विलास की लालसा पर स्वयं को असमर्थ मानने लगा, इसके साथ ही कभी–कभी स्वाभाविक अवैध तरीकों का भी सहारा लेने लगा, जिसे कानूनी शब्दों में अपराध कहा जाने लगा। चूँकि अपराधशास्त्री डेविड लेविसन कानूनी पहलू पर बल देते हुए अपराध को परिभाषित किया, उनका मानना था कि " अपराध वे कार्य है, जिन्हें अधिकारी सामान्य कार्य के लिए इतना हानिकारक समझते हैं और उसका निषेध करते हुए उसके लिए दण्ड की व्यवस्था करते हैं, वहीं विलिअम मोरिसन का मानना है कि "अपराध समाज विरोध व्यवहार है" क्लेरंस ऑफ जेफ्फरी का कहना है कि "अपराध व कार्य है, जिसे राज्य ने सामूहिक कार्य के लिए समाज विरोधी पोषित किया। हैकरवाल ने कानून का उल्लंघन अपराध माना, उन्होंन इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि इसमें अपराधी के इरादे पर ध्यान दिया जाता है, कानून के पीछे पापपूर्ण इरादा कानून के विरुद्ध अपराध होगा। अनजाने में किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जायेगा।

अपराध का सिद्धान्त– हालांकि अपराध के कई सिद्धान्त है, परन्तु उनमें से कुछ सिद्धान्तों का नीचे विवेचन किया जा रहा है, जो इस प्रकार से हैं–

अपराध का समाजशास्त्रीय सिद्धान्त– अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त को परिभाषित करने वालों में रेफेल गेरोफेलो इमाइल दुर्खिम, रोबर्ट एजरा पार्क, अर्नेस्ट बर्गर, क्लिफफोर्ड शॉ, वाल्टर, रेकलेस फ्रेडरिक थ्रेचर इत्यादि प्रमुख विचारक हैं वही अमेरिकी विधिशास्त्रीयों में सदरलैण्ड का नाम प्रमुख है, उन्होंने अपराध निवारण से सम्बंधित सामाजिक हितों का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

बहुस्तरीय या एकीकृत सिद्धान्त/आपराधिक आचरणा सम्बंधित सिद्धान्त–अपराध समाज की ही उत्पतित माना जाता है, व्यक्ति पर सामाजिक कारणों का इतना प्रभाव पड़ता है कि इन्हीं के कारण यह आपराधिकता में पड़ता है या उससे

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

विरत रहता है, इस सिद्धान्त के समर्थकों मे एल्डेन या एलेनर गुलेक इत्यादि प्रमुख विचारक माने जाते है, उन्होने अपराधी के पूर्व जीवन को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में स्पष्ट किया।

–आपराधिकता पूर्णतया जन्मतहः अर्जित नहीं होती, अपितु व्यक्ति इसे अपने जीवन के अनुभव व व्यवहार के आधार पर सीखता है।

–व्यक्ति अन्य व्यक्तियों या बुरे व्यक्ति के सम्पर्क में आकर अवांछित कृत सीखता है जो उसे अपराधी बनने के लिए करणीभूत होते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अवाछित कृत ही सीखेगा, लेकिन अधिकांश मामलों में व्यक्ति वैसे कर्य ही सीखता है, जो अपराध की दिशा की तरफ ले जाती हो।

–व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव उसके परिजनों तथा परिचितों पर पड़ता है, यदि उनमें आपराधिक प्रवृति हो तो उस व्यक्ति को भी अपराधी बन जाने की प्रबल सम्भावना होती है।

–व्यक्ति ने आपराधिक प्रवृति उसकी आर्थिक आवश्यकताओं, अर्जन की लालसा, सुख व प्रतिष्ठा इसके अलावा उसकी बाहरी परिस्थितियॉ भी अपराध के कारण उत्पन्न करती है।

विभेदक सहचार्य का सिद्धान्त– इस सिद्धान्त का प्रतिपादन एडविन सदरलैण्ड द्वारा 1939 में किया, इस सिद्धान्त के अनुसार व्यक्ति अन्य लोगों की संगति एवं सहचार्य में आपराधिक गतिविधियॉ सीखता है। उदाहरण यदि कोई माता–पिता किसी व्यक्ति को भूखा मरने से बचाने के लिए खाद पदार्थों की चोरी का अनुमोदन करते हैं, वे इसे बुरा र्का नहीं मानते उनके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और कई परिस्थितियों में अपराध करना उचित मान लेगें जो आगे चलकर अपराधी भी बन सकता है।

गतिशीलता– इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बार्स और टीटरस ने किया उन्होंने खास कर आपराधिक वरदातों को स्पष्ट करते हुए इसका विवेचन किया है।

–आपराधिक विचारों वाले व्यक्ति इस घटनाओं को पढ़कर स्वयं वैसा करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके पास अधिक से अधिक पैसा हो सके और वह अपने मुताबिक कार्य करें।

–आपराधिक घटनाओं का निरन्तर अखबारों में छपते रहने से लोगों की उसके प्रति गंभीरता समाप्त हो जाती है और कानून के प्रति उनकी रूचि कम हो जाती है, क्योंकि कानून होने के बावजूद भी अपराध की दरों में कोई कमी का न होना।

संस्कृतियों में अंतर्विरोध– संस्कृतिक अपराध विभिन्न रुपों में विभिन्न स्तरों पर देखी जाती है पुरानी और नवी पीढ़ी के व्यवहार आचरण तथा सोच मं अन्तःविरोध जिके कारण आपसी समन्ययव, आपसी अनवय, विरोध, झगड़े आदि उत्पन्न हो जाते हैं जो अपराधिकता के लिए वातावरण उत्पन्न करते हैं। एक ही परिवार में अलग–अलग तरह की संस्कृतियां विद्यमान होती है, 20 वीं शताब्दी की संस्कृति और 21 वीं शताब्दी की संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है।

पारिवारिक स्थिति– परिवार सबसे पहली शुरूआत मानी जाती है, जहॉ बच्चा अपने जीवन का पहला कदम रखता है, सदरलैंड ने माना कि पारिवारिक परिस्थिति का अपराधिकता पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, इसी बात को डोनन्द टेफट ने भी स्पष्ट किया और कहा कि परिवार एक ऐसी संस्था है, जिसमें बालक की सभी प्राथमिक आवश्यकतायें पूरी की जाती है, परिवार ही वह संस्था है, जहॉ बच्चा अपने जीवन के प्रत्येक पहलू सीखता है, यदि परिवार जन अपने बच्चों के प्रति उदासीन है और इनकी उपेक्षा है, तो निश्चय ही बच्चे माता पिता के स्नेह के अभाव में स्वयं को निराश्रित और उपेक्षित महसूर करने लग जायेगें और माता पिता की लापरवाही के कारण अपराधिकता की ओर झूक जायेगें, वहीं टेफ्ट ने अपराधियों की स्थिति का जिक्र करते हुए माना कि–

–अपराधी व्यक्ति सामान्यतः अपने परिवार जनों तथा परिचितों से दूर रहना पसन्द करते हैं।

–आपराधियों के निवास स्थान अधिकतर गंदे, अस्वस्थकर तथा अव्यवस्थित तथा उनका जीवन स्तर पटिया होता है।

–उनका पारिवारिक जीवन प्रायः विछिन्न रहता है या तो माता पिता अलग रहते हैं या तो उन्होंने अपने पति या पत्नी को तलाक दिया होता है, जिसके कारण पारिवारिक विच्छिन्नता भी अपराध का गम्भीर कारण मानी जाती है।

–अधिकांश अपराधी अपने भाई बहनों के प्रति द्वेष भावना रखते है और उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती, परन्तु वे अपने छोटे भाई वहनों को अपराध से दूर रखते हैं, वे नहीं चाहते की उनके भाई वहन भी उन्ही की तरह किसी गिरोह में शामिल हो जाय।

–टेफ्ट ने यह भी माना कि यदि माता पिता आपराधिक स्वरुप के नहीं है और बच्चे आपराधिक कार्यों को करते हैं, जैसे दुकान से कोई वस्तु उठाकर ले जाना और माता पिता का उसके बारे में मौन रहना अनेक कुख्यात डाकुओं ने अपने बच्चों को इस कुकृत्य से दूर रखकर उन्हें अच्छी शिक्षा देकर सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार वेश्वार्य प्रायः अपनी सन्तान को इस कुलुषित वातावरण से पूर्णतः दूर रखती है और उन्हें यह आभास भी नहीं दिलाना चाहती थी, वे सब वेश्या की

सन्तान है।

धार्मिक मान्यताएं– कई धार्मिक स्थल कई तरह के अनैतिक आचरण के अड्डे बने हुए हैं, जहॉं ठगी, चोरी, अपहरण, धोखा–धड़ी की ब वरदातें प्रायः होती रहती है। अनेक दैव स्थानों और मंदिरों के पुजारी धर्म और पुण्ड के नामा पर धन ऐठने में लगे रहते हैं, उन्हें न कानून का भय है और न ही सरकार का कहीं–कहीं तो यात्रियों से एक निश्चित रकम लिए बिना उन्हें मंदिर की मूर्ति तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। इस अवैध धंधे में मंदिर में कार्यरत सभी लोगों के हिस्से बंधे होते हैं वही कुछ स्थानों पर एजेंट, कार्यरत है, जो लोगों को समझा बुझाकर या फुसलाकर मंदिर तक ले जाते हैं, जिससे उनका भी हिस्सा बंधा होता है।

परिवार पर आर्थिक दशा का गम्भीर प्रभाव पड़ता है। प्रायः अधिकाशतः महिलाएं पुरुषों से कंधें से कंधा मिलाकर काम कर रही है, वही इसके कारण जमाखोरी भ्रष्टाचार आदि के अपराधों में वृद्धि तो आवश्यक रुप से आर्थिक प्रगति के कारण ही हो रही है, धनी व्यक्ति पैसे के बल पर अपराध के दंड से छुटकारा पा लेने में असमर्थ होते हैं, इसलिए उच्च वर्ग में अनेक ऐसे अपराध होते हैं, जिनका पता नहीं लग पाता गरीबी या दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण कभी कभी महिलाओं को वेश्यावृत्ति या घृणितकार्य करने पर वाध्य कर देते हैं।

प्राचीन अपराध और सफेदपोश अपराध में अन्तर– प्राचीन अपराध वे अपराध कहलाते है मार पीट, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार व अपहरण इत्यादि वहीं सफेदपोश अपराध का प्रतिपादन ई. एच. सदरलैंड ने किया। वह प्रथम विधिवेता थे, जिन्होंने सफेदपोश अवधारणा का प्रतिपादन किया, उन्होंने जनसाधारण को इस बात से अवगत कराया की जैसे रूढ़िवाद अपराधों के अलावा कुछ ऐसी सामाजिक गतिविधियां है जो उच्च वर्ग के लोग अपने व्यवसाय या व्यापार के अनुक्रम में करते हैं, परन्तु जिन्हें अपराधी नहीं माना जाता। इनका पता लगाना कठिन होता है। इसके विपरित रूढिगत अपराध प्रत्यक्ष स्वरुप के होते है, इनमें हिंसा, बलप्रयोग, सम्पत्ति का अन्तरणए आदि जैसा कोई भौतिक कार्य होता है, जिसका सरलता से पता लगाया जा सकता है, वही सदरलैंड का मानना था कि रूढिगत अपराध और सफेदपोश अपराध में अन्तर केवल अपराधियों के स्तर पर करना एक भूल होगी, क्योंकि समाज के अति प्रतिष्ठित व्यक्ति भी भ्रष्टाचार व्यक्ति भी मिलावट, हेराफेरी, जैसे सफेद पोश अपराध करते हैं, इसलिए सफेदपोश अपराध को सामान्य अपराध से अलग नहीं किया जा सकता है।

सफेदपोश अपराध की परिभाषा– समाज के सम्मानीय तथा प्रतिष्ठित परिस्थिति के व्यक्तियों द्वारा उनके व्यवसाय के दौरान किए गए अपराध को सफेदपोश अपराध कहा जाता है, वाल्टर रेकलेस ने अपनी पुस्तक दी क्राईम प्रॉबलम में स्पष्ट किया की सफेदपोश अपराध वह अपराध है, जो उन व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो व्यापार की गतिविधियों एवं नीतियों का निर्धारण करते हैं, सफेदपोश अपराध समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा के लिए नही, बल्कि लोभ–लालच के लिए किया जाता है।

सफेदपोश अपराध के विभिन्न रुप– यद्यपि सफेदपोश अपराध बहुत ईमानदारी पूर्व करने का प्रयास किया जाता है, जैसे जमाखोरी,कालाबाजारी एवं मिलावट इस अपराध के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है और अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों से ज्यादा सम्पत्तिवान बनना चाहता है और इस प्रयास में अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर में वह सफेदपोश अपराध कर बैठता है, व्यापारिक क्षेत्रों में मिलावट और कालाबाजारी से अधिक लाभ कमानाा इसी योजना

चिकित्सा क्षेत्र में सफेदपोश अपराध– हालांकि चिकित्सा समाज का सेवा करने का एक मौका माना जा सकता है इस क्षेत्र में अवैध रुप से अनुचित पैसा कमाने के चक्कर में अधिकांश चिकित्सक सफेदपोश अपराध करते है, यदि लैंगिक संभोग के परिणाम स्वरुप यदि कोई अविवाहित गर्भधारण कर लेती है और वह अपने इस कुकृत्य को छिपाने व बदनामी से बचने के लिए वह चिकित्सक को अधिक पैसा देकर गर्भपात करवा लेते हैं। यहां तक की अन्य कुछ व्यक्ति भी गर्भपात कराने की तलास में एजेन्ट के रुप में काम करते है, इसी प्रकार चोरी, डकैती या अन्य अपराध करने वाले व्यक्ति अपराध के दौरान गम्भीर चोट लगने पर पूर्व निर्धारित डाक्टर के पास जाकर उसे इलाज करवाते है, जो उसके कार्यों को गुप्त रखता है और उसके बदले अपराधी से मोटी रकम वसूल लेता है।

1994 में विशेष कानून अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रसवपूर्व परीक्षण पर रोक लगा दी गयी है, परन्तु फिर भी अनेक विवादित युगल चिकित्सक से मिलजुल कर प्रसवपूर्व गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करा लेते और कन्या होने की दशा में अवैध तरीके से गर्भपात करा लेते, यद्यपि कानून द्वारा इस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, परन्तु फिर भी इसे अभी तक रोका नही जा सका। इसी प्रकार मरीजों को जानबूझकर लम्बित रखकर अपना धन्धा बना लेते हैं और उनसे पैसा खीचते रहते है, यहॉं तक कि निदान केन्द्रों से सांठ–गांठ करके अनेक चिकित्सक अपने मरीजों के केवल अपनी पसन्द के निदान केन्द्र से ही रक्त, पेशाब सुगर आदि के परीक्षण हेतु बाध्य करते हैं तथा किसी अन्य केन्द्र को विश्वसनीय नहीं मानते।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- IV, Issues-26, YEAR- Oct.-Dec.-2022

अभियांत्रिक व्यवसाय– सफेदपोश अपराध से जुड़े अपराधों में अभियांत्रिक व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति भी देखे जाते हैं, जो अपने पदो का अनुचित लाभ उठाते हैं और निर्माण कार्य करने वाले लोगों से मिलीभगत करते है, बड़े निर्माण कार्यों में ठेकेदार अधिकारियों को पैसे देकर घटिया क्वालिटी के माल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण निर्माण कार्य निर्धारित स्तर का नही हो सकता है। अधिकांश स्थानों पर यह देखा जाता है कि जिस पुल या सड़क या निर्माण इंजीनियर द्वारा किया गया है, वह पुल या सड़क केवल एक या दो साल में ही धाराशायी हो जाती है, क्योंकि उसमें घटिया किश्म का तत्व प्रयोग किया जाता है 2014 में दिल्ली में एक फलाईओवर उद्घाटन से पहले से गिर गया।

विधि व्यवसाय– विधि व्यवसायों को महत्वपूर्ण व्यवसायों में गिना जाता है, परन्तु कुछ वर्षों में इसमें गिरावट देखी गयी विधि के शिक्षण का निरन्तर गिरता हुआ स्तर और दूसरा मुवक्किल जुटाने के लिए विधि व्यवसायी द्वारा अपनाएं जाने वाले अवांछित तरीकें यद्यपि विधि व्यवसायी के धन्धें के विशिष्ट स्वरुप के कारण उन्हें कठिन प्रतिस्पर्धा में ठीक रहने के लिए कभी कभी अनियमितताओं का सहारा लना पड़ता है, नोटरी के माध्यम से झूठें हलफनामें अथवा शपथ–पत्र बनवाना आम बात है। कई बार यह भी देखने में आता है कि वकील कुछ ऐसे केस ले लेते हैं, जिसका निपटारा करना आवश्यक होता है, परन्तु फिर भी उस केस को जानबूझकर लम्बा किया जाता है, जिससे कि उनकी आय की साधन बनी रहे।

शैक्षिक क्षेत्रों में सफेदपोश अपराध– भारत की अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में विशेषतः निजी प्रबन्धकों द्वारा संचालित संस्थाओं में अनेक भ्रष्ट और अवैध तरीकं से पहुंचाए जाते है, ये संस्थाएं अपने सम्बंध में झूठें ब्योरें प्रस्तुत करके अनुदान के रुप में बड़ी राशि सरकार से प्राप्त करते हैं और अपने कर्मचारियों तथा शिक्षकों को बहुत ही कम वेतन का भुगतान कर उनसे पूरी राशि पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं। इसके अलावा निजी संस्था डोनेशन के रुप में बहुत बड़ी रकम वसूल लेती है, जिसका कोई लेखा जोखा नही रखा जाता है। इसके अलावा कई शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकगण अपने विद्यार्थीयों को स्कूल या कालेज में अच्छा ढंग से न पढ़ाकर उन्हें कोचिंग के रुप में क्लास देते हैं, हालांकि इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा हुआ है, परन्तु फिर भी अभी तक यह व्यवसाय धड़ल्ले से चल रहा है।

व्यापार में होने वाले सफेदपोश अपराध– सदरलैंण्ड का मानना था कि विभिन्न प्रतिष्ठित निगम, व्यापार, विज्ञापनों द्वारा मिथ्या कथन व कार्पोराईट का उल्लंघन रिश्वत या घूस देकर अपना काम करवाना आदि विशेष कार्य हैं, जिसका प्रयोग व्यापारिक वर्ग के लोग करते है, उदाहरण के लिए।

–आईसक्रीम या कुल्फी से सक्रोल या सेकिन आदि के रंग का प्रयोग करना।
–पनीर में ब्लाटिंग पेपर या सोपसेन के टुकड़े मिलाना।
–पीसी मिर्च या मसालों में गेरू, संजोत या चावल की भूसी मिलाना।
–बतासे या अन्य मिठाईयों में कोलतार या इन्हें आकर्षक दिखाने के लिए हॉनिकारक रंगों का प्रयोग करना।
–धनिया में घोड़ें की लीद आदि का प्रयोग।

भारतीय दण्ड संहिता अपमिश्रण निवारण अधिनियम, औषधि अधिनियम तथा अफीम अधिनियम के अन्तर्गत अपमिश्रण के अपराध के कठोरतम दण्ड के प्रावधान होने के बावजूद ये अपराध खूलेआम घटित हो रहे हैं तथा कानून इन्हें रोकने में विफल रहा है।

लालच– इस अपराध से जुड़ें व्यक्ति के लिए वह आवश्यक हो जाता है कि वह पैसा, धन, सम्पत्ति और अन्य वस्तुओं के लिए किसी भी रुप में चाहे सरकारी संस्थाओं से या फिर निजी संस्थाओं से किसी रुप में लालच कर सकता है, जो अपराध कहलाता है।

शक्ति और नियंत्रण– इस अपराध से जुड़े व्यक्तियों का यह मानना होताा है कि पूरी शक्ति मेरे पास ही नियंत्रित रहे, जिससे कि वह हर तरह का लाभ उठा पाये चाहे निजी स्तर का हो या सार्वजनिक स्तर का हो।

नौकरी सुरक्षा– इस अपराध से जुड़े अपराधी इस रुप से भी पैसा बनाने का सोचते हैं, जिससे लोगों को नौकरियां दिया जा सके और वे इसके बदले वे अधिक से अधिक पैसा कमा सके।

सफेदपोश अपराध के परिणाम–

1. वित्तीय हॉनियां– सफेदपोश अपराध ऐसा अपराध है, जिसके माध्यम से हॉनि अधिक मात्रा में चुकानी पड़ती है, चाहे इसकी तुलना डकैती, लूट, सेंधमारी की जा रही है, फिर भी वित्तीय हॉनियां इससे कहीं ज्यादा होती हैं।

2. नैतिक संस्थान में सामाजिक नुकसान– सफेदपोश अपराधी सामाजिक रुप से नैतिक संस्थाओं में सामाजिक रुप से असंगठित होते हैं, जिसके माध्यम से विश्वास का टूटना प्रमुख होता है।

3. सफेदपोश अपराध रोकने के उपाय– हालांकि सफेदपोश अपराध ऐसे अपराधों में गिना जाता है, जिसे रशूकदार

या लोग करते हैं, परन्तु फिर भी इसके रोकथाम के गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए।

–इसे रोकने के लिए जनता की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ईमानदारी, निष्ठा, राष्ट्रीय भावना ये सब चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, जिन्हें बच्चों में प्रारम्भ से ही विकसित किया जाना चाहिए।

–सफेदपोश अपराधियों को कारावास की सजा दिए जाने के बजाय कठोर अर्थदण्ड दिए जाए, जो वास्तविक सजा से कहीं अधिक हो।

–भारतीय दण्ड संहिता में सफेदपोश अपराध नाम से नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए, तॉकि लोग इसे भी सामान्य अपराध की तरह माने।

–सफेदपोश अपराधों की सुनवाई करने के लिए विशेष अधिकरण गठित किया जाय।

निष्कर्ष– अपराध हमेशा ही अपराध माना जाना चाहिए, चाहे वह सामान्य अपराध हो या फिर सफेदपोश अपराध उस अपराध के लिए जो भी सजा बनती हो संज्ञेय स्तर या असंज्ञेय स्तर उन अपराधियों को दिया जाना चाहिए। जहां सामान्य अपराधों में मारपीट, हत्या, लूटपाट, चोरी–डकैती आदि अपराध माने जाने हैं, वहीं सफेदपोश अपराधों में कपट, कूटहरण, न्यासभंग, धोखाधड़ी आदि से सम्बंधित माना जाता है, इनके लिए विशेष कानून या एजेंसियां होनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के अपराध का निपटारा जल्दी से हो सके, जिससे आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए किसी प्रकार की चुनौती न रहे और समाज अपराध मुक्त व समतायुक्त बनाने का प्रयास किया जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Nand, Paripurna Pathology of crime and Delinquency; Allahabad] Sahitya, 1972
2. Jeffary, Clarence, 'The Structure of American Criminological Thinking, Criminal Justice Volume no 46, January, 1965
3. Morision, W "What is Crime Constructing Definition and perspective in Morision Criminology CiviliZation and v=new World Order" London, Routlledge, 2006.
4. Glick, Leonard, "Criminolgy" Allyn & Bacon Pearson, 2005.
5. Gooptu, Nandini "The Politics of the urban Poor in Early Twentieth-Century India" Cambridge University press, 2001.
6. Seigle larry, J. "Criminology "Wadsworth cengage learning, 2012.
7. Pranjape, "Criminology, penology and victim logy" central law publication Allahabad, 2012.
8. Gilbert "white-collar Crime, What is It?, in Kip Schlegel and david Weisburd (eds) White-collar Crime Reconsidered, Boston,Northeastem University press,
9. J seigle, larry "Criminology' wadsworth cengage Learning, 2012.
10. Themstrom, Stephan, Poverty, Planning, and Politics in the new Boston, The Origins of ABCD New York, Basic Books, 1969.
11. Teft, Donald " criminology' (Forth edition) Golbert 'White-collar crime', in gary W-Potter (Ed.) Con troversies in White collar crime Cincinnati, OH: Anderson publishing co, 2002.
12. Sudarland, Edwin, is white collar crime a crime? American Sociology reviw 10 April 1949.
13. Gaund Kd. 'criminal Law and criminology', 2003.
14. M Parent vandebeek CA, Gemino AC. Building Citizen Trust through e-Government, Government Information Quarterly, 2005.
15. Kim SE. The Role of Trust in the modern Administrative State : An Integrative Model. Administra tion & Society, 2005.

*****